8544

महत्वपूर्ण / तत्काल

पत्रांक-बजट-PRAN/ / (2018-2019)/ /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0
(बजट अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक /29/10/ 2018

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23-10-2018 को बैठक आहुत की गयी थी। जिसमें यह बिन्दु प्रकाश में आया कि दिनांक 01-04-2005 के पश्चात् सेवा में आने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों, जो नयी अंशदायी पेंशन योजना (PRAN) में आच्छादित है, का वेतन PRAN खाता खोले / कटौती किये बिना आहरण किया जा रहा है, जो कि नियमों व नीतियों के विपरीत है, जिसपर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए नियमों व नीतियों का तत्काल पालन कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में अधिकारियों/ कर्मचारियों के संगठनों द्वारा भी रोष व्यक्त करते हुए शासन में शिकायत की गयी है।

अत: उक्त के क्रम में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप व्यक्तिगत रुप से दि0 01-04-2005 के पश्चात् सेवा में आने वाले कार्मिकों का PRAN खाता तत्काल खुलवाने / नियमानुसार कटौती कराकर वेतन का आहरण करना सुनिश्चित करें। यह भी उल्लेखनीय है कि PRAN खाता न होने की स्थिति में भविष्य में कार्मिकों के वेतन रोकने की भी स्थिति आ सकती है। जिसका उत्तरादायित्व आपका होगा।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से दिशा निर्देश जारी करने के सम्बन्ध में प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।